श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी (गढ़वाल)–उत्तराखण्ड–249199
Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay
Badshahithol, Tehri (Garhwal)- Uttarakhand – 249199

अंक सुधार परीक्षा सम्बन्धी नियम

1. स्नातक स्तर पर तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को यह सुविधा देय नहीं है।
2. स्नातक स्तर पर दो विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांक यदि दोनों विषयों में 20 प्रतिशत से कम हो अंक सुधार परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। 20 प्रतिशत अंक प्राप्त अर्ह अभ्यर्थी एक विषय के सभी या किसी एक अथवा दो प्रश्नपत्रों में बैठ सकता है।
3. स्नातक स्तर पर दो विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी एक विषय में 20 प्रतिशत से कम अंक या एक विषय में उत्तीर्ण दूसरे विषय में 20 प्रतिशत से अधिक और तीसरे विषय में 20 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होने तथा अनुपस्थित रहने पर भी अंक सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह होंगे। प्रयोगात्मक परीक्षा में यह सुविधा प्रदत्त नहीं होगी।
4. यदि अभ्यर्थी के अंक सुधार परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र में अंक कम होते हैं तो मुख्य परीक्षा के अंक ही मान्य होंगे।
5. अंक सुधार परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हों, इसके बाद यह सुविधा मान्य नहीं होगी।
6. उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अंक सुधार हेतु किसी एक विषय में अंक सुधार परीक्षा उसी वर्ष दे सकता है जिस वर्ष की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुआ हैं।
7. अभ्यर्थी को परीक्षा के प्रत्येक वर्ष अंक सुधार परीक्षा की सुविधा देय है।
8. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक विषय में एक प्रश्नपत्र में यह सुविधा देय होगी।
9. एक विषय वाले परीक्षार्थियों को अंक सुधार परीक्षा देय नहीं होगी।
10. अंक सुधार परीक्षा का आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् किसी भी दशा में परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
11. अभ्यर्थी जिस महाविद्यालय से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुआ, उसी परीक्षा केन्द्र से अंक सुधार परीक्षा में सम्मिलित होगा, अन्यथा परीक्षाफल घोषित नहीं किया जायेगा।
12. विशेष परिस्थिति में यदि छात्र/छात्रा अपने मुख्य परीक्षा केन्द्र के अलावा अंक सुधार परीक्षा अन्य किसी परीक्षा केन्द्र से देना चाहता/चाहती है तो दोनों परीक्षा केन्द्रों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर रू0 300/– परीक्षा में केन्द्र परिवर्तन शुल्क बैंक ड्राफ्ट/नगद विश्वविद्यालय कैश काउन्टर पर संचित कर कुलसचिव की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही सम्मिलित हो सकता है। अन्यथा परीक्षाफल घोषित नहीं किया जायेगा, जिसके लिए छात्र/छात्रा स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कुलसचिव